दस रुपये TEN RUPEES

निगरानी 2549-PBR-15

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल भोपाल म.प्र.

रिवीजन क्रं..............

महिपाल सिंह

निवासी करोद भोपाल म.प्र. .... रिवीजनकर्ता

तह० हुजूर गोविंदपुरा वृत्त

विरूद्व

हरिनारायण पुत्र श्री किशन लाल

निवासी ग्राम करोद भोपाल म.प्र.

तह० हुजूर गोविंदपुरा वृत्त

.... रेस्पांडेट

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

रिवीजनकर्ता द्वारा रेस्पांडेट द्वारा एक आवेदन पत्र भूमि खसरा क्रमांक 75/1/1/2 रकबा 0.319 हेक्ट0 स्थित प.ह.नं. 21 ग्राम करोद कलॉ भोपाल का सीमाकन कराने हेतु पेश किया जिसका प्रकरण क्रमांक 2/ए.-12/13-14 होकर दिनांक 24/09/2014 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय गोविंदपुरा वृत्त भोपाल ने आदेश पारित किया से दुखित होकर निम्नलिखित आधार पर यह रिवीजन प्रस्तुत करता है :-

श्री नागेश्वर राव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 28-7-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत की। G.M. 28-7-15

रिवीजन के आधार

यह कि रेस्पांडेट द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 75/1/1/2 रकबा 0.319 हेक्ट0 स्थित प.ह.नं. 21 ग्राम करोद कलॉ भोपाल का सीमांकन कराने हेतु आवेदन पेश किया था तथा राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमाकंन की कार्यवाही म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा-129 के प्रावधानो के अनुसार नही की है और जो कार्यवाही धारा-129 भू. राजस्व संहिता के प्रावधानो के तहत की है उसमे राजस्व निरीक्षक के द्वारा रिवीजनकर्ता को किसी प्रकार से सूचना पत्र नही दिया इस कारण से उपरोक्त माननीय अधिनस्थ न्यायालय का सीमाकंन आदेश दिनांक 24-09-14रिवीजनकर्ता पर बंधनकारी नही होने से निरस्त होने योग्य है ।

2. यह कि रेस्पांडेट के द्वारा उपरोक्त सीमांकन प्रकरण 2/ए.-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 24/09/2014 को आधार बनाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय गोविंदपुरा वृत्त के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र. भू-राजस्व संहिता का पेश किया है तथा उक्त प्रकरण में रेस्पांडेट के द्वारा रिवीजनकर्ता को पक्षकार बनाया है जो कि विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से उक्त प्रकरण रिवजीनकर्ता के विरूद्ध प्रचलन योग्य नही है ।

2....

[illegible] हीरालाल [illegible]

R2549. PBR/15 भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ[illegible] आदि के हस्ताक्षर
24.8.16	उभय पक्ष को सूचना दी जावे प्रकरण ग्राह्यता पर तर्क हेतु। PP 25.10.16 भोपाल [illegible]	श्री नागेश्वर [illegible]
25.10.16	आवेदक एवं अनावेदक को भेजा गया सूचना-पत्र तामील उपरांत प्राप्त। आवेदक को तीन बार पुकार लगवायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	